न्यायालय, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज॰ जयपुर
§ हाल कार्यालय राज॰ आवासन मण्डल, जयपुर §

क्र॰ ओ॰एस॰डी/नविआ/91/1701 दिनांक: 30-5-91

वाद संख्या:- 5/88/8
5/88/17
5/88/11
5/88/25
5/88/37
5/88/40
5/88/52
5/88/56
5/88/59
5/88/62
5/08/64
5/88/66
5/88/75
5/88/80
5/88/16
5/88/21
5/88/32ए
5/88/36
5/88/50
5/88/57
5/88/116
5/88/118

अवार्ड की नकल प्राप्त की
14.6.91.

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कोलोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड योजना सांगानेर तृतीय की उपरोक्त वादों की कुल भूमि 38·11 बीघा

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- 1· श्री जेठमल व्यास, विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज·, जयपुर ।

पक्षकारान :- 1· भूमि के सभी सम्बन्धित खातेदार ।

2· राजस्थान आवासन मण्डल जरिये श्री नरहरि शर्मा, सचिव, रा·आ·म·, श्री सी·एम· वर्मा, तहसीलदार, रा·आ·म· एवं श्री जे·के· सिंघी एडवोकेट ।

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल को आवासीय कालोनी निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता हेतु राज्य सरकार ने अपनी विज्ञप्ति दिनांक 7-3-1988 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 की धारा 4{1} {2} द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भूमि अवाप्ति हेतु विज्ञप्ति राज· राजपत्र 16 जून 1988 में प्रकाशित करा कर सर्वे आदि करने हेतु अधिकृत किया तत्पश्चात् आवासन मण्डल के आवासीय कोलोनी के निर्माण हेतु भूमि की अवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धारा 17 की उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर धारा 5ए के प्रावधान लागू नहीं करते हुए धारा 6{4}{1} एवं 17{4} के अग्रतर अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय, जयपुर को अपनी विज्ञप्ति नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना जो भाग 1 ख राज· राजपत्र जून 1989 में प्रकाशित हुई के द्वारा भूमि अवाप्ति की व्यवस्था करने एवं धारा 17 की {4} एवं धारा 9{1} में उल्लेखित नोटिस के प्रकाशन से 15 दिवस की समाप्ति पर अवाप्ति अधीन भूमि का कब्जा लेने के निर्देश दिये जिसकी अनुपालना में दिनांक 18·8·89 एवं 19·8·89 को भूमि का कब्जा लिया गया तथा उसी दिन आवासन मण्डल को सौंपा गया ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 9{1} की अनुपालना में सार्वजनिक नोटिस क्र· 527 से 531 दिनांक 3-7-89 को जारी किये गये इसके पश्चात् केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 9{3} के अन्तर्गत क्लेम एवं खातेदारों के हित की एवज में उचित मुआवजे एवं पैमाइश, क्षेत्रफल के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु भी नोटिस जारी किये गये । नोटिस जारी करने पर खातेदारों की ओर से क्लेम पेश किए गए जो

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/116, 86, 118, 16, 32ए एवं 50 में खातेदारों ने कोई क्लेम पेश नहीं किया । अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने के आदेश किए गये ।

वाद संख्या 5/88/21 में पथिक भवन निर्माण सहकारी समिती लि॰ जयपुर ने एक दरख्वास्त पेश की थी कि समिती ने यह भूमि खरीदी है, किन्तु उक्त समिती को अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई खातेदारी अधिकारी, अभिलेख तथा क्रय करने सम्बन्धि दस्तावेज इन्होंने पेश नहीं किये । अतः उनके विरुद्ध भी एकतरफी कार्यवाही किये जाने के आदेश दिनांक 5-4-90 को दिये गये । वाद सं॰ 5/88/§57§ में दी कृष्णा कोपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि॰ ने जरिये मन्त्री एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि इस वाद सम्बन्धी भूमि 0-15 बीघा समिती ने खरीद ली है किन्तु इसके समर्थन के अवसर देने के पश्चात् भी इन्होंने कोई सबूत/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये । अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया । वाद सं॰ 5/88/41 भी इसी समिती ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23-8-89 को प्रस्तुत किया था कि यह भूमि उसकी खरीदी हुई है किन्तु दरख्वास्त के समर्थन में अवसर दिये जाने के पश्चात् भी कोई अधिकार/अभिलेख/रजिस्ट्री दस्तावेज पेश नहीं करने से दरख्वास्त खारिज की गयी थी ।

वाद संख्या 5/88/8, 11, 17, 25, 37, 40, 52, 56, 59, 62, 66, 64, 75, 80 में खातेदारों की ओर से वकील श्री पी॰ एल॰ शर्मा एवं श्री एन॰ के॰ नोडर ने क्लेम एवं आपतियां प्रस्तुत की । क्लेम में मुख्यतः यह बताया की प्रार्थीगण की भूमि विश्व के प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगती हुई है तथा पास ही रेल्वे स्टेशन है । इस कारण भूमि की उपयोगिता आवासीय एवं व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तित होने से जमीन का मूल्य । लाख रु॰ प्रति बीघा से दिया जावे यह भी बताया है कि प्रार्थीगण की भूमि के समीप ही विभिन्न आवासीय कालोनिया है जो बसी हुई है तथा सहकारी समिती ने अपने सदस्यों को भी प्लाट काटे है । चिकित्सालय, सड़क यातायात के साधन मनोरंजन के साधन और व्यवसायिक केन्द्र नजदीक होने से व्यवसायिक व आवासीय योजनाओं के चरम विकास पर होने से इसकी पोटेनशियलिटी वेल्यू बढ़ती जा रही है । इस भूमि की कीमत पोटेनशियलिटी वेल्यू में वृद्धि होने से हजारों रु॰ प्रति वर्गगज से कम नहीं है । जयपुर विकास प्राधिकरण, राज॰ आ॰ म॰, पी॰डब्ल्यू॰डी॰ द्वारा

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

अवार्ड दिये हुए है उनको मध्य नजर रखते हुए कीमत आंकी जानी चाहिए । यह भी बताया गया है कि दूर की जमीनों के ग्राम बम्बाला व श्योपुर में जो मुख्य सड़कें जो नजदीक भी नहीं है अवार्ड दिनांक 4-2-85 एवं 20-2-85 पी डब्ल्यू डी द्वारा तथा आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 20-2-85 को जारी किये गये है । इनमें भूमि की दर 40 हजार रू. व 45 हजार रू. प्रति बीघा सन 1985 से पूर्व में आंकी गई थी । इसके साथ ही 6 वर्ष पूर्व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी भूमि की दर 25 हजार रू. प्रति बीघा की आंकी गई थी । जिसके 3 गुने रेट पर हुई आज की कीमतों में वृद्धि दर से स्पष्ट जाहिर है कि वर्तमान में 1 लाख रू. प्रति बीघा की ही इसकी कीमत आंकी जानी चाहिए ।

पेड़ की कीमत 500 रू. डोले की कीमत 1500 रू. पानी के कुए की कीमत 1 हजार रू. धन्धा, व्यवसाय, रिहायशी स्थान बदलने से 15 हजार रू. की कीमत की मांग की गई है । इसके अतिरिक्त विधि पारिश्रमिक 3% मुआवजे की दर से एवं संशोधित भूमि अवाप्ति अधिनियम 1987 की धारा 23 के अन्तर्गत सोलेशियम आदि की मांग के अलावा 500 वर्गगज का भूखण्ड प्रत्येक खातेदार को दिलाये जाने की प्रार्थना की है ।

राजस्थान आवासन मण्डल ने इनके प्रतिउत्तर में 25 हजार रू. बीघा बाजार दर से तय करने एवं भूमि का शहर से 14-15 कि.मी. दूर होने से कृषि भूमि की प्रति बीघा दर ही तय करने का उत्तर दिया है । पी.डब्ल्यू.डी. के भूमि अवाप्ति के संबन्ध में यह बताया गया है कि वह एक विशेष प्रयोजन हेतु व भूमि का कुछ भाग ही अवाप्त किया जाता है । अतः पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किये गये अवार्ड की तुलना में रा.आ.म. द्वारा अवाप्त की जा रही कृषि भूमि का मूल्य आंकलन के सम्बन्ध में किया जाना उचित नहीं है । ब्याज और सोलेशियम के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थीगण मुआवजा पाने के हकदार है, यह भी माना गया है ।

खातेदारों की ओर से ग्राम टीबा श्योपुर का विक्रय पत्र क्र.सं. 621 दिनांक 15-6-89 13 बिस्वा जमीन 85 हजार रू. में कुए सहीत बेचान किया गया बताया गया है । यह भूमि अवाप्ति अधीन भूमि से दक्षिण-पूर्व दिशा में डेढ़ कि.मी. की दूरी पर स्थित है । दूसरा दस्तावेज एक अवार्ड पी.डब्ल्यू.डी. दिनांक 20-2-85 का टोल-टैक्स कलेक्शन एवं सड़क विस्तार ख.न. 855, 921/ 37 0891/1368 भूमि 3 बीघा ग्राम टीबा श्योपुर दर 40 हजार रू. प्रति

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

बोघा बारानो एवं 45 हजार रू॰ प्रति बोघा सिंचित को दर से बेचान करने बाबत् पेश किया है ।

अवार्ड में धारा 4 को विज्ञप्ति 30-7-84 को है जिसका अवार्ड दिनांक 20-2-85 को जारो किया गया है । रा·आ·म· ने अपने पक्ष में एक रजिस्ट्रो दिनांक 21-7-88 को संख्या 898 पेश को है जो गोपुर के ख·नं· 1446/1450 रकबा ·52 एअर बारानो भूमि जो रेल्वे लाइन के पास इस स्कोम से करोब 3 कि·मो· दूरो पर है जो 52 हजार 500 रू॰ में बेचान हुई है । इसको दर प्रति बोघा 24 हजार 231 रू॰ आतो है । विद्वान वकोलों ने अपनो बहस दिनांक 25-2-91 में करोब-करोब इन्हो मुद्दों को दोहराते हुए । लाख रू॰ प्रति बोघा को दर से बाजार भाव से तथा 500 वर्गगज के प्लाट ए·आई·आर·1985 पेज 59 कलकत्ता और दिल्लो हाईकोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए मांग को है । रजिस्ट्रोयों के बारे में यह बताया गया है कि रजिस्ट्रोयों में वास्तविक कोमत नहों बताई जातो है पहले के अवार्ड को देखकर हो कोमत तय को जावें और कूपों का मुआवजा भो बताया जावें । इसके अलावा यह भो बहस को गई कि रा·आ·म· द्वारा अपने कथनों के पक्ष में न तो किसो के ब्यान कराए है और न हो क्लेम का खण्डन किया है । इन्होंने अपने वकोलों के समर्थन में निम्न लिखित उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों के निर्णय भो पेश किए है :-

ए·आई·आर· 1987 सर्वोच्च न्यायालय पेज 532, आर·एल·आर· 1988 (1) पेज 641, आर·एल·आर· 1988 (2) पेज 255, ए·आई·आर· 1985 कलकत्ता ए·आई·आर· 1984 पंजाब हरियाणा पेज427, ए·आई·आर·1984 सर्वोच्च न्यायालय पेज 893, ए·आई·आर· 1977 सर्वोच्च न्यायालय पेज 1560· ए· आई·आर· 1977 सर्वोच्च न्यायालय पेज 580 ए·आई·आर· 1959 सर्वोच्च न्यायालय पेज 427, ए·आई·आर· 1985 सर्वोच्च न्यायालय पेज 1623, आर·एल·आर· 1986, ए·आई·आर· 1985 दिल्लो पेज 467, ए·आई·आर· 1984 दिल्लो पेज 406, ए·आई·आर· 1986 दिल्लो पेज 140, ए·आई·आर· 1987 गुजरात पेज 55, ए·आई·आर· 1986 इलाहबाद पेज 81, ए·आई·आर 1986 दिल्लो पेज 63 ·

दोनों पक्षों को बहस सुनो गई । प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं अवाप्ति अधोन भूमि का मौका निरोक्षण भो किया गया । अम्बाला के टोल-टैक्स कलेक्शन (प्लाजा निर्माण) हेतु जो भूमि अवाप्त को गई थी वह केवल 6

वि·भि·अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

बोघा हो थी जो टोंक-जयपुर मुख्य सड़क को भूमि है । अवाप्ति अधीन भूमि की भौगोलिक स्थिति एवं आसपास के क्षेत्र की लोकेशन तथा अवाप्ति उद्देश्यों में कोई समानता नहीं है । अतः इतनी कम भूमि (3 बीघा) की बाजार दर को ही इन मामलों में आधार नहीं बनाया जा सकता है । रा.आ.मं. द्वारा आवासीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समाज के कमजोर वर्ग के लिए बिना लाभ हानि के ही आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु भूमि अवाप्त कराई जाती है । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 1977 पेज 1560, 580, आर.एल.आर. 1988(2) पेज 255 दिल्ली हाईकोर्ट के अनुसार भी छोटे टुकड़ों के बाजार दर का सैकड़ों बीघा भूमि अवाप्ति के मामलों में आधार नहीं बनाया जा सकता है ।

खातेदारों की ओर से बाजार दर बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई है । दूसरी रजिस्ट्री 15 जून 1989 को पेश की गई है जबकि इन मामलों में धारा 4 की विज्ञप्ति 15 जून 1988 को ध्यान में रखते हुए बाजार दर तय की जाना है । रजिस्ट्री में जो भूमि बताई गई है वह भी अवाप्ति अधीन भूमि के आस-पास की लोकेशन की नहीं है । जिससे इसे भी आधार नहीं बनाया जा सकता । 500 वर्गगज का प्लाट भी दिया जाना प्रस्तुत निर्णयों के पक्ष में सही नहीं पाये जाने से यह तर्क स्वीकार नहीं है ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा रजिस्ट्री सं. 898 दिनांक 21-7-88 जो श्योपुर की .52 एअर बारानी भूमि विक्रय की पेश की है वह भी भूमि अवाप्ति अधीन भूमि के लोकेशन से दूर की है । अतः यह दर भी हम लागू करना उचित नहीं मान सकते । अवाप्ति अधीन भूमि की स्थिति सांगानेर हवाई अड्डे से डेढ़ कि.मी. सांगानेर टाउन से करीब- 3-4 कि.मी. है । मौके के अनुसार आसपास आवासीय गतिविधियां चल रही है तथा भूमि की आवासीय उपयोगिता एवं बढ़ती हुई बाजार दरों, भविष्य में विकास की पोटेन्शिलिटी को आधार मानते हुए मैं इस क्षेत्र से चिपती हुई सांगानेर योजना द्वितीय में दिये गये पूर्व अवार्ड को आधार मान कर बाजार दर नियत करना उचित समझता हूं ।

पूर्व में इस भूमि के पास का सांगानेर द्वितीय अवार्ड सं. 2058 दिनांक 29-12-88 जो 26-27 हजार रू. प्रति बीघा की दर अगस्त 1983 की धारा 4 की विज्ञप्ति के आधार पर दिया गया था । मैं वर्तमान अवाप्ति अधीन भूमि की धारा 4 की विज्ञप्ति 15-6-88 के अन्तर की अवधि में 13% ब्याज के आधार पर ...

(हस्ताक्षर)
भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

दर तय करना उचित समझता हूँ । अत: सिंचित भूमि को दर 48 हजार रू॰ बारानी भूमि को दर 47 हजार रू॰ प्रति बीघा व सड़क के पास होने पर इसमें 1 हजार रू॰ प्रति बीघा की वृद्धि देकर तय की जाती है । उड्डे व नाले के आस पास वाली भूमि को 46 हजार रू॰ प्रति बीघा व इसी प्रकार पेड़-पौधों के लिए मौके के अनुसार अमरूद 400 रू॰, अनार 100 रू॰, अरडू 200 रू॰ बेर 200 रू॰ करौंदा 200 रू॰, आंवला बड़ा 200 रू॰ छोटा 100 रू॰, नींबू 400 रू॰, जामून 350 रू॰ जामून छोटा 200 रू॰, आम 800 रू; सफेदा बड़ा 200 रू॰, मध्यम 150 रू॰ छोटा 100 रू॰,नीम बड़ा 200 रू॰ मध्यम 150 रू॰ छोटा 100 रू॰ सेजणा 200 रू॰, कूचा 8 रू॰ प्रति नग, लेसवा 200 रू॰, बबूल बड़ा150. रू॰ मध्यम 100 रू॰ छोटा 50 रू॰, खेजड़ा बड़ा 150 रू॰ मध्यम 100 रू॰ छोटा 50 रू॰, पापड़े 400 रू॰ के अनुसार तय की जाती है । कुंए एवं स्ट्रेक्चर्स के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिया गया तखमीना स्वीकार किया जाता है ।

वर्तमान में मुआवजा निर्धारण की जाने वाली भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

क्र०सं०	वाद संख्या	खातेदार का नाम	ख॰न॰	बीघा-बिस्वा (रकबा)
1-	5/88/8	किसना पुत्र देवा खटीक	410	0-07
			411	0-08
			635	0-07
			636	0-03
			637	0-03
			638	0-04
			639	0-03
			640	0-02
			641	0-05
			651	0-03
				2-05
2-	5/88/17	प्रभू पुत्र गगल्या रैगर	249	0-02
			250	1-00
				1-02

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्र०सं०	वाद संख्या	खातेदार का नाम	ख० नं०	रकबा बीघा-बिस्वा
3-	5/88/11	खुबा पुत्र नानगा रैगर	385/386	1-17
			420	0-05
			421	0-02
			422	0-03
			423	0-02
				2-09
4-	5/88/25	घासीराम,गैंदीलाल पि· खूबाराम	424	0-17
			427	0-09
				1-06
5-	5/88/37	धन्ना,दयाल,पि·श्रवण	247	0-09
			248	0-04
			247/1425	0-16
				1-09
6-	5/88/40	परमात्मा पुत्र नानगा रैगर	279	0-12
			619/1435	0-13
				1-05
7-	5/88/52	भोमा पुत्र नैना रैगर	541	1-00
8-	5/88/56	रामचन्द्र, हीरालाल पिता मन्ना रैगर	379	1-10
			380	0-07
			381	0-05
			382	0-15
			383	0-02

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्र०सं०	वाद संख्या	खातेदार का नाम	ख०नं०	रकबा बीघा-बिस्वा
			414	0-11
			379/1431	0-10
			380/1432	0-01
				4-01
9-	5/88/59	कानो बेवा रामनारायण	213	0-12
			214	
			215	0-12
			642	0-05
			643	0-04
			644	0-03
			645	0-04
			648/649	0-07
				2-07
10-	5/88/62	रूपा पुत्र चन्दा रैगर	620	0-02
			621	0-14
				0-16
11-	5/88/64	सुजा पुत्र भागीरथ रैगर	254	0-11
			255	0-14
			256	0-02
			257	0-03
			258	0-16
				2-06
12-	5/88/66	सेवा धन्ना पि. गणेश 1/2	565	0-11
		कानी पुत्र भूरा 1/2	566	0-16
			567	0-10

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्र०सं०	वाद संख्या	खातेदार का नाम	ख०नं०	रकबा बीघा-बिस्वा
			622	0-09
			623	0-09
				2-15
13-	5/88/75	सुवा पुत्र महादेव	679/1594	2-11
14-	5/88/80	छीतर पुत्र घासीराम	679/1600	3-02
15-	5/88/16	गोविन्दसिंह पुत्र बहादुरसिंह	147/148	0-17
16-	5/88/21	श्यामलाल, कन्हैयालाल	220	0-02
		हरिनारायण पिता घासी	216	0-12
			217	0-15
			222	0-16
			223	0-08
			224	0-12
				3-05
17-	5/88/32ए	घासीलाल, गैन्दीलाल	418	1-02
		पुत्र खूबा रैगर	425	0-14
				1-16
18-	5/88/36	धन्ना पुत्र रामनाथ राणा	6[illegible]3	0-02
19-	5/88/50	बिरदी बेवा पन्ना रैगर	559	0-02
20-	5/88/57	भूल्या पुत्र सूज्या बलाई लादी बेवा भूल्या, गरीबा, जगदीश पुत्र भूल्या	154	0-15
21-	5/88/118	काना पुत्र भूरा जाति मीणा	413	0-13
22-	5/88/116	जगदीश नारायण पुत्र पांचूराम	390	2-07

खातेदार अनुसार मुआवजे के अवार्ड की गणा इस प्रकार की जाती है :-

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

ख्या:- 5/88/8

दार का नाम:- किशनां पुत्र श्री देवा खटीक

	राशि
- भूमि को कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 2 बिस्वा 5 ग्राम श्योपुर भूमि को दर 48,000/- रू. प्रति बीघा ।	1,08,000·00
2- पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	1,459·17
3- योग (1 + 2)	1,09,459·17
2- धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दि. 15-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	15,428·24
3- धारा23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	32,837·75
4- योग (1 + 2 + 3)	1,57,725·16
5- दिनांक 4-1-90 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	(-) 45,000·00
6- 19-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	1,12,725·16
7- कब्जा प्राप्त करने को तिथि से एक वर्ष तक 9% को दर से ब्याज दिनांक 19-8-89 से दिनांक 3-1-90 1,57,725·16 (138 दिन) 4-1-90 से 17-8-90 तक (227 दिन)	5,366·97 6,309·52
8- दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	1,24,401·65

नोट रू. 1,12,725·16 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान को तिथि तक 15% को दर से ब्याज देय होगा जिसको गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय को जावेगी ।

(हस्ताक्षर)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/17

खातेदार का नाम प्रभू पुत्र गंगल्या रैगर

		राशि
1-	भूमि की कोमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बोघा 1 बिस्वा 02 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 47000/- रू. प्रति बीघा ।	52,800·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	10,653·88
3-	योग (1 + 2)	63,453·88
2-	धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 427 दिन)	8,949·60
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	19,036·16
4-	योग (1 + 2 + 3)	91,439·64
5-	दिनांक 18-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	22,000·00
6-	18-8-90 को शेष भुगतान योग्य राशि	69,439·64
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 19-8-89 से दिनांक 18-8-90	6,249·56
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	75,689·20

नोट :- रू. 69,439·64 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय [illegible] विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/11

खातेदार का नाम श्री छुबा पुत्र नानगा

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23﴾1﴿ रकबा बीघा 2 बिस्वा 9 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/-रू. प्रति बीघा ।	1,17,600·00
2-	पेड़, पौधे, कुंआ, व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	14,603·76
3-	योग ﴾ 1 + 2 ﴿	1,32,203·76
2-	धारा 23·1﴾ए﴿ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 15-6-88 से 18-8-89 तक ﴾कुल 429 दिन﴿	18,646·16
3-	धारा 23﴾2﴿ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	39,661·12
4-	योग ﴾ 1 + 2 + 3 ﴿	1,90,511·04
5-	दिनांक 19-12-89 को भुगतान प्राप्त राशि ﴾80%﴿ ﴾-﴿	49,000·00
6-	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	1,41,511·04
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 19-8-89 से दिनांक 19-12-89 ﴾123 दिन﴿ का 1,90,511·04	5,777·96
	20-12-89 से 18-8-90 तक﴾242 दिन का﴿	8,444·13
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	1,55,733·13

नोट:- रू. 1,41,511·04 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/25

खातेदार का नाम घासीराम गैंदोलाल पुत्र खुबराम रैगर

1- भूमि को कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 1 बिस्वा 06 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/-रू. प्रति बीघा ।		राशि 62,400·00
2- पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार		40,478·93
3- योग (1 + 2)		1,02,878·93
2- धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 15-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)		14,510·15
3- धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि		30,863·67
4- योग (1 + 2 + 3)		1,48,252·75
5- दिनांक 18-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	(-)	26,000·00
6- 18-8-90 को शेष भुगतान योग्य राशि		1,22,252·75
7- कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 19-8-89 से दिनांक 18-8-90		11,002·74
8- दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि		1,33,255·49

नोट :- रू. 1,22,252·75 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान को तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/37

खातेदार का नाम धन्ना ध्याला

		राशि
1–	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1) रकबा बीघा 1 बिस्वा 09 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49000/- रु. प्रति बीघा ।	71,050·00
2–	पेड़ पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	31,609·85
3–	योग (1 + 2)	1,02,659·85
2–	धारा 23·1 (ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 15-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	14,479·25
3–	धारा 23 (2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	30,797·95
4–	योग (1 + 2 + 3)	1,47,937·05
5–	दिनांक 19-12-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80% ( )–)	29,000·00
6–	19-12-89 शेष भुगतान योग्य राशि	1,18,937·05
7–	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज	
	दिनांक 19-8-89 से दिनांक 19-12-89 (123 दिन)	4,486·74
	20-12-89 से 18-8-90 तक 242 दिन	7,097·12
8–	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	1,30,520·91

नोट:- रु· 1,18,936·05 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/40

खातेदार का नाम पभाता / नाम्भा

1- भूमि को कोमत अन्तर्गत धारा 23॥1॥ रकबा बोघा 1 बिस्वा 05 ग्राम श्योपूर भूमि को दर 4900/- रू. प्रति बोघा।	राशि 61,250.00
2- पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमोना मण्डल के अनुसार	1,454.60
3- योग ॥ 1 + 2 ॥	62,704.60
2- धारा 32.1॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक ॥कुल 427 दिन॥	8,843.92
3- धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	18,811.38
4- योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	90,359.90
5- दिनांक 19-12-89 को भुगतान प्राप्त राशि ॥80%॥ ॥-॥	25,000,00
6- 19-12-89 को शेष भुगतान योग्य राशि	65,359.90
7- कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% को दर से ब्याज	2,740.00
20-12-89 से 18-8-90	3,900.10
8- दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	72,000.04

नोट :- रू. 65,359.90 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% को दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय जावेगी

(हस्ताक्षर)
वि[illegible]धिकारी
नगरीय [illegible] विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/52

खातेदार का नाम भौंरा पुत्र नेनूराम

	राशि
1- भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 1 बिस्वा 0 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/= रू. प्रति बीघा ।	48,000·00
2- पेड़,पौधे,ढोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	538·45
3- योग (1 + 2)	48,538·45
2- धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 15-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	6,845·91
3- धारा 32(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	14,561·53
4- योग (1 + 2 + 3)	69,945·89
5- दिनांक 19-12-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	20,000·00
6- ....शेष भुगतान योग्य राशि	49,945·89
7- कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज	
दिनांक 18-8-89 से दिनांक 19-12-89	2,121·37
20-12-89 से 18-8-90	2,980·33
8- दिनांक 19-12-90 तक भुगतान योग्य राशि	55,047·59

नोट :- रू. 49945·89 पर दिनांक 20-12-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/56

खातेदार का नाम रामचन्द्र पुत्र श्री हीरालाल

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 4 बिस्वा 01 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 47000/- रू॰ प्रति बीघा ।	1,98,450.00
2-	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	21,036•74
3-	योग (1 + 2)	2,19,486•74
2-	धारा 23•1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 15-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	30,956•64
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	65,846•02
4-	योग (1 + 2 + 3)	3,16,289•40
5-	दिनांक 19-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%) (-)	81,000•00
6-	19-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	2,35,289•40
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 19-8-89 से दिनांक 18-8-90	21,176•04
8-	दिनांक 19-9-90 तक भुगतान योग्य राशि	2,56,465•44

नोट :- रू॰ 2,35,289•40 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(हस्ताक्षर)
[illegible]ाधिकारी
नगरीय [illegible] विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/59

खातेदार का नाम कानो बेवा रामनारायण

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 2 बिस्वा 07 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 47000/- रू. प्रति बीघा ।	1,10,450·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	1,061·09
3-	योग (1 + 2)	1,11,547·19
2-	धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक(कुल 429 दिन)	15,732·73
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	33,464·15
4-	योग (1 + 2 + 3)	1,60,744·07
5-	दिनांक 5-1- 90 को भुगतान प्राप्त राशि (80%) (-)	47,000·00
6-	17-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	1,13,744·07
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज	
	दिनांक 19-8-89 से दिनांक 4-1-90	5,509·33
	दिनांक 5-1-90 से 18=8-90 226 दिन	6,338·50
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	1,25,591·90

नोट:- रू. 1,13,744·07 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/86/62

खातेदार का नाम स्पा / चन्द्रा

	राशि
1- भूमि को कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा - बिस्वा 16 ग्राम श्योपुर भूमि को दर 48000/- रू॰ प्रति बीघा ।	38,400·00
2- पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	248·29
3- योग (1 + 2)	38,648·29
2- धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-86 से 18-8-89 तक(कुल 429 दिन)	5,451·00
3- धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	11,594·49
4- योग (1 + 2 + 3)	55,693·78
5- दिनांक 19-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	16,000·00
6- 19-8-89 शेष भुगतान योग्य राशि	39,693·78
7- कब्जा प्राप्त करने को तिथि से एक वर्ष तक 9% को दर से ब्याज	3,572·44
8- दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	43,226·22

नोट :- रू॰ 39,693·78 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान को तिथि तक 15% को दर से ब्याज देय होगा, जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/64

खातेदार का नाम सूजा / पुत्र भागीरथ

1- भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23॥1॥	राशि
रकबा बीघा 2 बिस्वा 06 ग्राम श्योपुर भूमि दर 49000/- रू. प्रति बीघा	1,12,700,00
2- पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	19,491·37
3- योग ॥ 1 + 2 ॥	1,32,191·37
2- धारा 23·1॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक ॥कुल 428 दिन॥	18,644·41
3- धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवाय अवाप्ति राशि	39,657·41
4- योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	1,90,493·19
5- दिनांक 8-11-89 को भुगतान प्राप्त राशि ॥ 80% ॥ ॥-॥	46,000·00
6- 8-11-89 शेष भुगतान योग्य राशि	1,44,493·19
7- कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज	
दिनांक 18-8-89 से दिनांक 8-11-89	3,898·86
9-11-89 से 18-8-90	10,047·22
8- दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	1·58,439·27

नोट :- रू. 1,44,493·19 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(हस्ताक्षर)

विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/66

खातेदार का नाम सेवा/धन्ना

1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23॥1॥ रकबा बीघा 2 बिस्वा 15 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/- रू॰ प्रति बीघा ।	राशि 1;32,000·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	2,605·49
3-	योग ॥ 1 + 2 ॥	1,34,605·49
2-	धारा 23·1 ॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.-6-88 से 18-8-89 तक ॥कुल 429 दिन॥	18,948·90
3-	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	40,381·64
4-	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	1,93,936·03
5-	दिनांक 31-3-90 को भुगतान प्राप्त राशि ॥80%॥ ॥-॥	55,000·00
6-	31-3-90 को शेष भुगतान योग्य राशि।	1,38,936·03
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज	
	दिनांक 19-8-89 से दिनांक 31-3-90॥225 दिन॥	10,759·43
	1-4-90 से 17-8-90	4,761·86
8-	दिनांक 17-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	1,54,457·32

नोट:- रू॰ 1,38,936·03 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(हस्ताक्षर)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास ... विभाग
राजस्थान जयपुर

वाद संख्या 5/88/75

खातेदार का नाम सुआ लाल पुत्र महादेव

1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बोघस 2 बिस्वा ।। ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/- रू. प्रति बीघा ।	राशि 1,22,400,00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	-
3-	योग (1 + 2)	1,22,400·00
2-	धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	17,263·43
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	36,720·00
4-	योग (1 + 2 + 3)	1,76,383·43
5-	दिनांक 23-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	51,000·00
6-	23-8-89 शेष भुगतान योग्य राशि	1,25,383·43
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज	
	दिनांक 19-8-89 से दिनांक 23-8-89 (5 दिन)	217·45
	24-8-89 से 17-8-90	11,099·00
8-	दिनांक 17-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	1,36,699·88

नोट:- रू. 1,25,383·43 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(हस्ताक्षर)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/80

खातेदार का नाम छीतर पुत्र घासी

1–	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1)	राशि
	रकबा बीघा 3 बिस्वा 02	1,45,700·00
	ग्राम श्योपुर भूमि की दर 47,000/– रू· प्रति बीघा ।	
2–	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	400·00
3–	योग (1 + 2)	1,46,100·00
2–	धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16–6–88 से 18–8–89 तक (कुल 429 दिन)	20,606·10
3–	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	43,830·00
4–	योग (1 + 2 + 3)	2,10,536·10
5–	दिनांक 10–8–90 को भुगतान प्राप्त राशि (80%) (–)	62,000·00
6–	10–8–90 शेष भुगतान योग्य राशि	1,48,536·10
7–	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज	
	दिनांक 19–8–89 से दिनांक 10–8–90(356 दिन)	18,481·03
	11–8–90 से 18–8–90 (8दिन)	293·03
8–	दिनांक 18–8–90 तक भुगतान योग्य राशि	1,67,310·13

नोट:– रू· 1,48,536·10 पर दिनांक 19–8–90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(हस्ताक्षर)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/16

खातेदार का नाम गोविन्दसिंह पुत्र बहादुर सिंह

1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23॥1॥	राशि
	रकबा बीघा - बिस्वा 17	41,650·00
	ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49,000/-रू· प्रति बीघा ।	
2-	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	80·01
3-	योग ॥ 1 + 2 ॥	41,730·01
2-	धारा 23·1॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक ॥कुल 429 दिन॥	5,885·64
3-	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	12,519·00
4-	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	60,134·65
5-	दिनांक·······को भुगतान प्राप्त राशि ॥ 80% ॥	-
6-	············शेष भुगतान योग्य राशि	60,134·65
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 19-8-90 ॥1 वर्ष॥	5,412·11
8-	दिनांक 19-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	65,546·76

नोटः- रू· 60,134·65 पर दिनांक 20-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/08/21

खातेदार का नाम श्यामलाल, कन्हैयालाल, हरिनारायण धासी

		राशि
1-	भूमि को कोमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बोघा 3 बिस्वा 05 ग्राम श्योपुर भूमि दर 49000/- रू. प्रति बोघा ।	1,59,250·00
2-	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	35,195·13
3-	योग (1 + 2)	1,94,445·13
4-	धारा 23·1 (ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	27,424·75
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	58,333·58
4-	योग (1 + 2 + 3)	2,80,203·41
5-	दिनांक को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	-
6-	.... शेष भुगतान योग्य राशि	2,80,203·41
7-	कब्जा प्राप्त करने को तिथि से एक वर्ष तक 9% को दर से ब्याज दिनांक 19-8-89 से दिनांक 18-8-90	25,218·30
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	3,05,421·71

नोट :- रू. 2,80,203·41 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान को तिथि तक 15 % को दर से ब्याज देय होगा जिसको गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय को जावेगो ।

(हस्ताक्षर)

ति[illegible] धिकारी
नगरीय [illegible] विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/32§ए§

खातेदार का नाम घासीराम, गैन्दोलाल पुत्र खूबा

1- भूमि को कोमत अन्तर्गत धारा 23§1§ रकबा बोघा 1 बिस्वा 16 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/- रू॰ प्रति बोघा ।	रु॰पै॰ 86,400·00
2- पेड़,पौधा,डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	2,708·56
3- योग §1 + 2§	89,108·56
2- धारा 23·1§ए§ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक §कुल 429 दिन§	12,567·96
3- धारा 23§2§ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	26,732·56
4- योग §1 + 2 + 3§	1,28,409·08
5- दिनांक 22-9-89 को भुगतान प्राप्त राशि §20%§ §-§	36,000;00
6- 22-9-89 शेष भुगतान योग्य राशि	92,409·08
7- कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज	
दिनांक 19-8-89 से दिनांक 22-9-89	1,108·18
23-9-89 से 18-8-90 §330 दिन§	7,519·31
8- दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	1,01,036·57

नोट:- रू॰ 92,409·08 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

जिलाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/36

खातेदार का नाम धन्ना/रामनारायण

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा - बिस्वा 06 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 47000/-रू. प्रति बीघा ।	14,100·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	6,315·28
3-	योग (1 + 2)	20,415·28
2-	धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	2,879·39
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	6,124·58
4-	योग (1 + 2 + 3)	29,419·25
5-	दिनांक 19-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	6,000·00
6-	19-8-89 शेष भुगतान योग्य राशि	23,419·25
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 18-8-90	2,107·71
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	25,526·96

नोट :- रू. 23,419·25 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(हस्ताक्षर)

भू-अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/50

खातेदार का नाम बिरदी बेवा पन्ना रैगर

1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23§1§ रकबा बीघा - बिस्वा 02 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/- रू. प्रति बीघा ।	राशि 4,800·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुआं व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	-
3-	योग § 1 + 2 §	4,800·00
2-	धारा 23·1§ए§ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक §कुल 429 दिन§	676·99
3-	धारा 23§2§ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	1,440·00
4-	योग § 1 + 2 + 3 §	6,916·99
5-	दिनांक 19-12-89 को भुगतान प्राप्त राशि § 80% §	2,000·00
6-	19-12-89 शेष भुगतान योग्य राशि	4,916·99
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 19-8-89 से दिनांक 18-12-89§123 दिन§	209·78
	19-12-89 से 18-8-90	293·40
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	5,420·17

नोट :- रू. 4,916·99 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/57

खातेदार का नाम श्रीमती लादी बेवा मूल्या गरोबा, जगदीश,बाबूलाल, पुत्र मूल्या

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23≬1≬ रकबा बीघा - बिस्वा 15 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49,000/- रू. प्रति बीघा ।	36,750.00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	-
3-	योग ≬ 1 + 2 ≬	36,750.00
2-	धारा 23.1≬ए≬ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक ≬कुल 429 दिन≬	5,183.25
3-	धारा 23≬2≬ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	11,025.00
4-	योग ≬ 1 + 2 + 3 ≬	52,953.25
5-	दिनांक......को भुगतान प्राप्त राशि ≬ 80%≬	-
6-	.... शेष भुगतान योग्य राशि	52,953.25
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 19-8-89 से दिनांक 18-8-90	4,766.24
8-	दिनांक 19-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	57,724.49

नोट :- रू. 52,953.25 पर दिनांक 20-3-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय ... एवं ... विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/116

खातेदार का नाम जगदीशनारायण पुत्र पांचूराम

1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1)	राशि
	रकबा बीघा 2 बिस्वा 07	1,12,800,00
	ग्राम [illegible]यावाला भूमि की दर 48000/- रू॰ प्रति बीघा ।	
2-	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	36,835·23
3-	योग (1 + 2)	1,49,635·23
2-	धारा 23·1 (ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 19-8-89 तक (कुल 429 दिन)	21,104·71
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	44,890·56
4-	योग (1 + 2 + 3)	2·15,630·50
5-	दिनांक.........का भुगतान प्राप्त राशि (80%)	-
6-	19-8-89 शेष भुगतान योग्य राशि	2,15,630·50
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 19-8-89 से दिनांक 18-8-90	19,406·74
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	2,35,037·24

नोट :- रू॰ 2,15,630·50 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

[signature]

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगरीय [illegible] विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/118

खातेदार का नाम काना/भूरा

1- भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा - बिस्वा 13 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/- रू. प्रति बीघा ।	राशि 31,200•00
2- पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	-
3- योग (1 + 2)	31,200•00
2- धारा 23•1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	4,400•48
3- धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	9,360•00
4- योग (1 + 2 + 3)	44,960•48
5- दिनांक 23-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	13,000•00
6- 23-8-89 शेष भुगतान योग्य राशि	31,960•00
7- कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज	
दिनांक 19-8-89 से दिनांक 23-8-89 (5 दिन)	55•43
24-8-89 से 18-8-90 (360 दिन)	2,837•03
8- दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	34,852•94

नोट :- रू. 31,960•00 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(हस्ताक्षर)

: :

उपरोक्त अवार्ड राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 9(30)नाविआ/3/83 जयपुर दिनांक 30.5.91 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गयी है। अतः आज दिनांक 30.5.91 को भूमि के मुआवजे का अवार्ड उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार अवार्ड सभी पत्रावलियों शामिल फाइल किया जाकर धारा 12 (2) के अन्तर्गत सम्बन्धित खातेदारान् को अवार्ड की प्रति सहित नोटिस भेजकर सूचित किया जावे तथा प्रतिलिपि शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवश्यक विभाग राजस्थान जयपुर, सचिव राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर व तहसीलदार सांगानेर को भी भेजी जावे।

अवार्ड सरेइजलास घोषित किया गया। मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा के साथ दिनांक 30.5.91 को जारी किया गया।

(हस्ताक्षर)
विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राज0 जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भुगतान करने हेतु।
3. तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर।
4. सम्बन्धित खातेदार श्री ----------------------।

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राज0 जयपुर।